



UPMH010032402026

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं०-1, महाराजगंज।

उपस्थिति:-संजय मिश्र, उच्चतर न्यायिक सेवा, (जे० ओ० कोड यू० पी० 6257)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1012/2026

राजाबाबू पुत्र यासीन उम्र करीब 26 वर्ष साकिन मौजा-कुआचांप, थाना पनियरा,
जिला महाराजगंज।

....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....विपक्षी

मु० अ० सं०-15/2025

धारा-303(2), 317(2), 317(4) बी०एन०एस०

थाना पनियरा, जिला महाराजगंज।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 3 क

22.07.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **राजाबाबू** की ओर से मु० अ० सं०-15/2025 अन्तर्गत धारा-303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस. थाना पनियरा, जिला-महाराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2- अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि "वादी मुकदमा कल शाम 4:30 बजे से 7 बजे के बीच में दिनांक 9-1-25 को दो पहिया वाहन चोरी हो गया। वाहन का नाम स्प्लेण्डर प्लस जो कि काला और सफेद कलर का है। वाहन नम्बर यू.पी. 56 एस 9862 है जो कि उसके निवास स्थान से चोरी हो गया है।"

3- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल बेकसूर है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को मु०अ०सं० 190/2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस. थाना पनियरा जिला-महाराजगंज में तथा कथित फर्जी मुकदमा के आधार पर घर से पुलिस पकड़ कर थाने में लाकर फर्जी गाड़ी की बरामदगी दिखाकर दिनांक 25-5-26 को फर्जी ढंग से चालान कर दिया जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय महाराजगंज के न्यायालय से मंजूर हो चुकी है। उपरोक्त मु०अ०सं० 15/2025 में धारा 303(2), बी.एन.एस., एक्ट में अज्ञात में रपट दर्ज रही, जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा दिनांक 28-3-25 को सं० 16/25 माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी। विवेचक महोदय द्वारा मु०अ०सं० 190/26 का हवाला देकर विवेचक महोदय द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से पुराने मुकदमा अ०सं० 15/25 की विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय, महाराजगंज को साजिश में लेकर माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर दोबारा जेल में रहते हुये पुनः उपरोक्त में भी दोबारा

विवेचना के दौरान कागजी खानापूर्ति के लिये वांछित कर दिया गया। प्रार्थी का पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास किसी प्रकार के मुकदमे में नहीं रहा है। उपरोक्त मुकदमा हम प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आयत होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में जिला कारागार महाराजगंज में दिनांक 25-6-26 से निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त घर के तन्हा व्यक्ति है बिना जमानत मुकदमे की पैरवी हो पाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त घर के हैसियतदार व्यक्ति है बाद जमानत भागने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। हम प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दाखिल है न लम्बित है और न ही खारिज हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त बाद जमानत माननीय न्यायालय के समक्ष हर नियत तिथि पर दौरान विचारण उपस्थित होता रहेगा तथा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेते रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करें।"

4- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5- उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर वादी की मोटर साइकिल चुराकर बेईमानी से प्राप्त कर उसका अभ्यासतः व्यापार करने का आक्षेप है। अतः यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। इन सभी तर्कों के साथ जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

6- मैंने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों का केस डायरी व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

7- जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों का केस डायरी व थाने से प्राप्त आख्या के परिशीलन से विदित है कि अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी की मोटर साइकिल चुराकर बेईमानी से प्राप्त कर उसका अभ्यासतः व्यापार करने का आक्षेप है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि "प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 07.01.2025 की दर्शायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 07 दिन विलम्ब से दिनांक 16.01.2025 को 17.24 बजे अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-317(4) को छोड़कर अन्य सभी धाराओं में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध सात वर्ष से अनाधिक समय के कारावास से दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-317(4) को छोड़कर अन्य सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अपराध के गुण दोष पर गये बिना मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस मत का है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

8- आवेदक/अभियुक्त **राजाबाबू** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/-रुपये (पचास हजार रुपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानतें संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाए:-

(i). यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(ii). यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

(iii). आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

9- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक:22.07.2026

(संजय मिश्र)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-1, महाराजगंज
UPID-6257